

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 18 जुलाई, 2016

विषय:- जनपद हाथरस में पीलीभीत-भरतपुर मार्ग (एस0एच0-33) किमी0 219 से 220 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम हाथरस देहात के खसरा संख्या-176 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.02775 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/06/40/2016/ एफसी/127, दिनांक 07-7-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 05 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 07-7-2017 की छायाप्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा लगायी गयी 05 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।